

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ओडा  
च भूअ.नि. 1095 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब  
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अरुकिण तहसील रेलमगरा व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 334 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	अरुकिण	334	एस. बी. बी. जे. शाश्व राजभावास	एस. बी. आई- शाश्व राजभावास

सहायक पीठासीन अधिकारी  
(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा

क्रमांक:- राजस्व/2025/119  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 03.10.2025

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ओडा को सूचनार्थ।
3. शक्ति पत्रावली।

सहायक पीठासीन अधिकारी  
(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा